न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 33/2025

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिव जरिये अध्यक्ष तेजाराम पुत्र श्री बस्ताराम शिव (एफपीएस कोड़–399), तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2025 जो विभागीय प्रकरण सं. 171/2024 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता की ओर प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 03.09.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 171/2024 सरकार बनाम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिव मे पारित निर्णय दिनांक 28.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकान शिव का निरीक्षण किया किये जाने पर प्रथम दृष्ट्या गम्भीर अनियमितताऐं पाई गई है। इस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:26:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निलम्बित करते हुए उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर जांच संस्थित की गई। जांच उपरांत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 17.07.2025 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति शिव का वर्तमान मे अध्यक्ष है। उचित मूल्य की दुकान को संचालन की जिम्मेदारी सहकारी समिति के व्यवस्थापक पृथ्वीनाथ को दिया गया था। व्यवस्थापक पृथ्वीनाथ द्वारा ग्राम सहकारी समिति सेवा समिति के कार्यो का निष्पादन समय पर नहीं करना, रोकड़ बही लेखा अपूर्ण रखना, वित्तीय वर्ष 2023–24 की समय पर ऑडिट नहीं करवाना, मुख्यालय पर नहीं रहना, सहकारी समिति के सदस्यों को समय पर ऋण का वितरण नही करना एवं खाद्य सुरक्षा के लाभाथियों को समय पर गेहू वितरण नहीं करने की शिकायते मिलने पर व्यवस्थापक को दिनांक 25.01.2025 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। व्यवस्थापक पृथ्वीनाथ द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति को संतोषजनक जवाब नहीं देने व निरंतर कार्यो के प्रति लापरवाह होने के कारण ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा दिनांक 07.02.2025 को निलम्बित किया गया एवं उक्त निलम्बन की सूचना प्रबंध प्रबंधक निदेशक, दी बाड़मेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. बाड़मेर के कार्यालय में पत्रांक SPL/07 दिनांक 10.02.2025 के जरिये प्रेषित की गई। अपीलांट के नाम

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:26:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के पश्चात उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिव की उचित मूल्य की दुकान का संचालन वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उचित मूल्य दुकान कोटडियों की ढाणी ,एफपीएस कोड 898 के डीलर श्री गंगासिंह पुत्र संगतसिंह को संचालन करने का आदेश जारी किया गया एवं वर्तमान में उक्त दुकान का संचालन गंगासिह द्वारा किया जा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित की जा रही दुकान पर हुई अनियमितता के संबंध में अपीलार्थी/अध्यक्ष को किसी प्रकार की जानकारी नहीं हुई थी क्योंकि उक्त संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा विभागीय प्रकरण भी व्यवस्थापक के नाम दर्ज किया गया एवं इस संबंध में उतरदाता द्वारा जारी सभी नोटिस एवं अन्य प्रकार पत्राचार भी व्यवस्थापक के नाम किया गया था। व्यवस्थापक, ग्राम सहकारी सेवा समिति द्वारा उचित मल्य की आवश्यक वस्तुओं का वितरण लगातार नियमानुसार करता रहा एवं व्यवस्थापक पर इस प्रकरण से पूर्व कभी कोई अनियमितता का आरोप नहीं लगा है। किन्तु पिछले कुछ माह से व्यवस्थापक द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही थी जिसके आधार पर व्यवस्थापक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संख्या 171/2024 संस्थित कर एकपक्षीय रूप से सुनवाई कर प्राधिकार पत्र निरस्त करने को आदेश पारित किया गया जिसके संबंध में ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रधान/अध्यक्ष को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना करते हुए एकतरफा आदेश पारित किया गया हैं। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि निरीक्षण दौरान उचित मूल्य दुकान शिव का भौतिक सत्यापन करने पर 1656 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक मे कम पाया होना पाया गया, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना पाया, प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होना एवं लाभार्थीयों की ई–सूची नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:26:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पायी गयी साथ ही उपभोक्ताओं को पोश मशीन की पर्ची उपलब्ध नहीं करवाया पाया जिसके कारण इस कार्यालय द्वारा अप्रार्थी को जारी उचित मूल्य दुकान शिव का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर वैकल्पिक व्यवस्था श्री गंगासिह पुत्र संगतसिंह को दी गयी। इस संबध में व्यवस्थापक द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकान शिव ने पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखने सहित उचित मूल्य दुकान संचालन में गंभीर अनियमितता बरती है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1,2,4,10,11,14,18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति शिव का वर्तमान मे अध्यक्ष है। उचित मूल्य की दुकान को संचालन की जिम्मेदारी सहकारी समिति के व्यवस्थापक पृथ्वीनाथ को दिया गया था। व्यवस्थापक पृथ्वीनाथ द्वारा ग्राम सहकारी समिति सेवा समिति के कार्यो के प्रति लापरवाह होने के कारण ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा दिनांक 07.02.2025 को निलम्बित किया गया। अपीलांट के नाम प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के पश्चात उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिव की उचित मूल्य की दुकान का संचालन वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उचित मूल्य दुकान कोटडियों की ढाणी ,एफपीएस कोड 898 के डीलर श्री गंगासिंह पुत्र संगतसिंह को संचालन करने का आदेश जारी किया गया एवं वर्तमान में उक्त दुकान का संचालन गंगासिह द्वारा किया जा रहा है। व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरूद्ध विभागीय प्रकरण किसी शिकायत पर नहीं ... एवं विभागीय कार्यवाही के संबध में अपीलांट को जानकारी नहीं थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस का जवाब भी व्यवस्थापक द्वारा बिना जानकारी मे लाए ही प्रेषित किया गया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:26:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथा अंतिम नोटिस दिनांक 13.12.2024 का जवाब व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 28.02.2025 को दिया गया, जिस समय व्यवस्थापक स्वयं निलम्बन अवधि मे था एवं उक्त जवाब देने के लिए अधिकृत नही होने के बावजूद उक्त नोटिस के जवाब मे गलत रूप से व्यवस्थापक के स्टॉम्प को उपयोग करते हुए जवाब प्रेषित किया। इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना करते हुए एकतरफा आदेश पारित किया गया हैं, ऐसी स्थिति मे अपीलांट को प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट की ओर से यह तर्क है कि निरीक्षण दौरान उचित मूल्य दुकान शिव का भौतिक सत्यापन करने पर 1656 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक मे कम पाया होना पाया गया, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना पाया, प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होना एवं लाभार्थीयों की ई–सूची नहीं पायी गयी साथ ही उपभोक्ताओं को पोश मशीन की पर्ची उपलब्ध नहीं करवाया पाया जिसके कारण इस कार्यालय द्वारा अप्रार्थी को जारी उचित मूल्य दुकान शिव का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर वैकल्पिक व्यवस्था श्री गंगासिह पुत्र संगतसिंह को दी गयी। इस संबध में व्यवस्थापक द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकान शिव ने पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखने सहित उचित मूल्य दुकान संचालन में गंभीर अनियमितता बरती है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 1,2,4,10,11,14,18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी के विरूद्ध ए[illegible] विभागीय गम्भीर अनियमितता होना प्रकट नहीं होता [illegible] उत्तरदाता प्रकट किया कि व्यवस्थापक द्वारा उचित मूल्य दुकान मे अनियमितता एवं लापरवाही बरती से प्राधिकार पत्र निलम्बित कर गई। इसके विपरीत अधिवक्ता अपीलांट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:26:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा व्यवस्थापक को पूर्व में निलम्बन किया गया इसके साथ ही उचित मूल्य दुकान का संचालन श्री गंगासिह द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 171/2024 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का समग्र विवेचन कर पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:26:12 IST
Reason: SelfAttested